भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 338
04 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र में धातु स्क्रैपिंग केंद्र

338. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण हेतु महाराष्ट्र में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को सुकर बनाने और बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग) : सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित देश में मेटल स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को सहायता प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

i. इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फेरस स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण एवं पुनर्चक्रण हेतु भारत में धातु स्क्रैप केन्द्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने एवं प्रोत्साहित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।

ii. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है, जिसमें पुराने अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण हेतु प्रोत्साहन/निरुत्साहन प्रणाली शामिल है।

iii. नीति के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के लिए रजिस्ट्रीकरण और कार्य (आरवीएसएफ) के लिए नियम जारी किया है जो पर्यावरण विनियम के तहत धातु एवं अन्य सामग्रियों की आगे की पुन: प्राप्ति हेतु उपयोगिता अवधि समाप्त वाहन (ईएलवी) के प्रदूषण कम करने और विखण्डन के लिए आवश्यक प्रक्रिया एवं अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करते हैं।

iv. भारत सरकार ने परिसंकटमय और अन्य अपशिष्टों का पर्यावरण अनुकूल तरीकों से सुरक्षित बंदोबस्त, भंडारण, पुनर्चक्रण, उपयोग, प्रशोधन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) [एचओडब्ल्यूएम] नियम, 2016 को अधिसूचित किया है।

जारी....

v. खान मंत्रालय ने एक औपचारिक और सुव्यवस्थित पुनर्चक्रित पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 'राष्ट्रीय नॉन-फैरस मेटल स्क्रैप पुनर्चक्रण रूपरेखा, 2020' शुरू की है। यह रूपरेखा स्क्रैप के पुनर्चक्रण तथा प्रसंस्करण और मेटल स्क्रैप पुनर्चक्रण गतिविधियों की सुविधा के लिए तंत्र के विकास के लिए मानक प्रक्रिया निर्धारित करता है।

vi. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग की अवधि समाप्ति वाले वाहन) नियम, 2025 की शुरुआत की है, जो उपयोगिता अवधि समाप्त वाहनों (ईएलवी) के पर्यावरणानुकूल तरीके से प्रबंधन के लिए रुपरेखा स्थापित करता है और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को अधिदेशित करता है, जिसमें वाहन उत्पादकों को वाहन के प्रकार और पुन: प्राप्त सामग्रियों के आधार पर वार्षिक स्क्रैपिंग लक्ष्य पूरे करने होंगे।

*****